

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित
कार्यालय मुख्य अभियंता (ऊ.सू.प्रौ.के.), डंगनिया, रायपुर

क्रमांक : 07-01/बिलिंग/2057

रायपुर, दिनांक

प्रति,

23 DEC 2017

अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा/शहर/एएमआर) वृत्त,
छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.,


विषय:- अतिरिक्त सुरक्षा निधि डिमांड विषयक।

संदर्भ:- कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य) के पत्र क्रमांक 633, दिनांक 24.05.2013

संदर्भित पत्र के तारतम्य में सुचित किया जाता है कि समस्त निम्नदाब एवं उच्चदाब उपभोक्ताओं के दिसम्बर या जनवरी माह के ऊर्जा देयकों के साथ अतिरिक्त सुरक्षानिधि की राशि हेतु डिमांड जारी की जानी है।

छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग के सप्लाय कोड के अनुसार अक्टूबर माह में पिछले 12 महिनों की खपत के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षानिधि की गणना की जानी है।

सेप के बिलिंग मॉड्यूल में उक्त निर्देशों का पालन करते हुए अक्टूबर, 16 से सितम्बर, 17 (कुल 12 माह) की खपत के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षानिधि की गणना की गई है। कृपया अपने अधिनस्थ समस्त संभागों को उक्त प्रोग्राम को दिसम्बर माह में जारी होने वाले ऊर्जा देयकों के साथ चलाने हेतु निर्देशित करें।


मुख्य अभियंता (ऊ.प्रौ.सू.के.)
छ०रा०वि०वि०क०मर्या०, डंगनिया, रायपुर

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (संचा.संधा./ आर.ए.पी.एम), छ.रा.वि.वित.कं. मर्या., रायपुर ।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (-----क्षेत्र/राजस्व), छ.रा.वि.वित.कं. मर्या.,
----- ।
3. कार्यपालन अभियंता (संचा.संधा./शहर/एएमआर) संभाग, छ.रा.वि.वित.कं. मर्या.,
